285

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन)

कमांक एफ 5–6/2013/1–15/क.क. भोपाल, दिनांक: 02-04-2016
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय: विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाले संयुक्त परामर्शदात्री परिषद्/संयुक्त परामर्शदात्री समितियों की बैठक आयोजित करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ: इस विभाग का ज्ञापन कमांक 2235/1199/1(3)70, दि0 19/12/70 पत्र क्रमांक एफ 5–2/09/1–15/क.क., दि0 15.09.2011 दिनांक 15.12.2011 एवं 06.11.2011 एवं पत्र कमांक एफ 5–6/2013/1–15/क0क0, दिनांक 26 मार्च 2013, दिनांक 22. जनवरी 2014, 25 सितम्बर 2014, 20 मई 2015 एवं 20.11.2015

—0—

संदर्भित पत्रों द्वारा सभी स्तरों पर संयुक्त परामर्शदात्री समितियों की बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित करने तथा बैठकों का कार्यवाही विवरण इस विभाग को भेजे जाने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं ।

2/ शासन के ध्यान में आया है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है । विभागों, विभागाध्यक्षों, जिला एवं तहसील स्तर पर गठित संयुक्त परामर्शदात्री समितियों की बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं । कृपया सुनिश्चित करें कि अब विभिन्न स्तरों पर गठित संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठकें वर्ष में "चार बार" अनिवार्य रूप से आयोजित की जावें, तथा प्रत्येक विभाग, विभागाध्यक्ष कार्यालयों में एक अधिकारी को एवं जिले के एक **अतिरिक्त कलेक्टर को नोडल अधिकारी** नियुक्त किया जाये नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि **जिला एवं तहसील स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठकें उक्त निर्देशानुसार वर्ष में चार बार (तीन माह में एक बार)** संपन्न होवें ।

3/ शासन के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि तहसील स्तर पर संयुक्त परामर्शदात्री समितियों का गठन नहीं हुआ है । शासन द्वारा मान्यता प्राप्त 20 संघ है । अतः समस्त कलेक्टर्स प्रत्येक संघ से 02–02 प्रतिनिधियों के नाम प्राप्त कर तहसील स्तर की समिति शीघ्र गठित कर, बैठक आयोजन की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

4/ कृपया बैठकों का कार्यवाही विवरण अनिवार्य रूप इस विभाग को उपलब्ध करायें ।
संलग्नः यथोपरि ।

(सी. बी. पड़वार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

...........निरंतर.......

पृ0क0 एफ 5–6/2013/1–15/क.क. भोपाल, दिनांक 02-04-2016

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव मान. मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
2. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्रीजी, सामान्य प्रशासन विभाग ।
3. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल ।
4. निज सचिव, मान. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
5. प्रान्ताध्यक्ष, समस्त मान्यता प्राप्त कर्म./अधि./संगठन.....................................की ओर सूचनार्थ ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग